क्रमांक 09-01/एनएमए-एनओसी/2022-23 (सी.नं.529)

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग नई दिल्ली-110001

दिनांक: 25.06.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) के उपबंधों के तहत 1 जुलाई, 2025 से एनओएपीएस पोर्टल के माध्यम से संरक्षित संस्मारकों और स्थलों के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों को करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदनों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत करने के संबंध में।

सचिव, संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) की अध्यक्षता में दिनांक 27 मई, 2025 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि संरक्षित संस्मारक और स्थलों के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्रों में निर्माण या पुनः निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण करने की अनुमति देने के लिए एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) की धारा 20सी के तहत प्रस्तुत सभी आवेदन, **1 जुलाई, 2025 से अनिवार्य रूप से** एनएमए ऑनलाइन **एप्पलीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (NOAPS) पोर्टल** के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि केंद्र सरकार की **"इज़ ऑफ डुइंग"** पहल के अनुरूप आवेदनों पर कार्रवाई को और अधिक सुचारू बनाया जा सके, परंतु यह इस अपवाद के साथ कि संरक्षित संस्मारकों और स्थलों से संबंधित आवेदन, जहां संरक्षित संस्मारकों और स्थलों के **कलर-कोडिड ज़ोनल मैप्स (सीसीजेडएम)** को अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, ऑफ़लाइन मोड में स्वीकार किए जाते रहेंगे।

2. सक्षम प्राधिकारी, एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (जैसा कि 2010 में यथा संशोधित) की धारा 20डी के तहत निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, जो निम्नानुसार है:

(क) एएमएएसआर (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6 में निर्दिष्ट अनुसार अपनी सिफारिशों सहित उन पर कारवाई करने के पश्चात आवेदनों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन प्राधिकरण को भेजे जाएंगे।

(ख) प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी एक माह के भीतर आवेदक को प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान करने या अस्वीकार करने के बारे में निर्धारित प्रपत्र III/IV/V, जैसा भी मामला हो, में सूचित करेगा।

3. सक्षम प्राधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे जहां भी आवश्यक हो, आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान करने के लिए आवेदकों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करें।

4. यदि किसी तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो प्राधिकरण ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त अनुरोधों के आधार पर कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

भास्कर वर्मा

(भास्कर वर्मा)

सदस्य सचिव

टेलीफ़ोन: 011-23072837

सेवा में,

सभी सक्षम प्राधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. डी.जी, एएसआई
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन/एएसआई/एनएमए), संस्कृति मंत्रालय।
3. निदेशक (एनएमए/एनसीएफ), संस्कृति मंत्रालय